DR. K. MATHEW KURIAN: What will be done? Incorporating it?

Constitution

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Sen Gupta, what is it? Are you pressing?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Since he has said—and it has gone on record—that he will incorporate it in the Bill, I do not press. Unless it is done, I will raise a point of privilege and I will proceed against

The BUI was, by leave, withdrawn.

## THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILI, 1970 (Insertion of new article 16A)

श्री क्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रोमन मैं ग्रापकी ग्रनमति से प्रस्ताव करता हं कि कांस्टीऱ्यूशन एमेंडमेंट विल 70 पर विचार किया जाय । इस संगोधन के जरिए मैं यह प्रस्ताव करता हं कि कांस्ट ट्यूगन के आर्टिकिन 16 के बाद एक नया आर्टिकिन 16 (ए) इस प्रकार जोड दिया जाय :--

"Every citizen above eighteen years of age shall have the right to employment and in the event of his failure to procure any employment, he shall be entitled to an unemployment allowance to be paid by the State at such rate as may be prescribed by the Government concerned from time to time by public notification."

मान्यवर, जो संगोधन मैंने रखा है वह इतना स्पष्ट है कि उसकी गाविदक व्याख्या की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई थी ग्राटिकिल 39 (ए) में, जो हमार संविधान के पर्ट 4 में है वह यह है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि

राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि इस देश के निवासियों को बराबरी का मौका रहे ग्रीरत ग्रीर मर्द को भीर उनको ग्रपना जीवन-निवाह करने का पूर्ण अधिकार बराबर प्राप्त रहे और इसके लिए सरकार कोई नीति निर्धारित करे । संविधान को लाग हए इतने दिन हो गए, लेकिन वड़े सफपोस के साय कहना पडता है कि खाज भी संविधान के उस धार्टिकल के ब्रनसार, उस ब्रनच्छेद के मुताबिक हर एक नागरिक को काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इस देश में करोड़ों व्यक्ति हैं जो काम करने के योग्य हैं, पुरुष और स्त्री जो काम करना चाहते हैं, जिनकी जीविका का कोई साधन नहीं है, जो अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए मामूली से मामूली धन्धा भी करने को तैयार हो तो भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह ब्रावश्यक लगता है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक नागरिक को जो वयस्क है, काम करना चाहता है--अगर सरकार काम करने की व्यवस्या नहीं कर पाती है-उनको आजी विका के लिए कुछ व्यवस्था करे, कुछ साधन दे, एलाउंस दे । मान्यवर, मैं इसलिए निवे-दन कर रहा था कि ग्रभी तक संविधान के पार्ट 4 में जो निर्देश दिए गए हैं उनको लाग करने के लिए-नागरिकों को कोई ऐसे अधि-कार प्राप्त नहीं हैं कि ग्रगर राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध नागरिक ग्रदालत में जाकर ग्रपने ग्रधिकारों की मांग कर सकें, अपने अधिकार की मुरक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध ग्रदालत में प्रायंना कर सकें। इप तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि खब तक इस प्रकार का प्रयास राज्य की तरफ से नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यही स्थिति रहीती बहुत दिनों तक आगे आने वाले जमाने में राज्य को तरफ से बैकार लोगों को काम करने का कोई साधन नहीं दिया जायगा ग्रीर न उन्हें कोई भना दिया जायगा।

193

मान्यवर, हमारे जैस गरीब देश में जहां पर सरकार की तरफ सं भी कहा जाता है कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो कम सं कम अरूरत की चीजें हैं वे भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और वेकारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली ः। रही है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने दो कमीणन नियुक्त किए-एक बेकारी के धिलिसले में श्री भगवती की सदारत में, जिन्होंने सुझाव दिए । उस रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से सदन में कोई विचार करने का मौका नहीं मिला। एक लेबर कमीशन बना। उसने भी बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में जो श्रीमक वर्ग है, जो फैक्टियों में कार्य करते हैं, सेवारत हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ भझाव दिए। उस पर भी कोई विचार-विमर्ण नहीं हो सका । उन दोनों समितियों में इत मसले पर गौर किया गया ग्रीर ग्रगर उन पर विचार हुआ होता तो यु बात स्पष्ट हो जाती और जनता के सामने भी यह बात स्वन्द भ्रा जाती कि सरकार जन तमितियों की सिफा-रिशों को बीकार कर रही है या नहीं, सरकार की तरक से उनके लिए कोई अभिनी कदम उठाया जायगा, उनको कार्यान्वित किया जारगा अथवा नहीं, वह रिवार ग्राज भी अल्मारियों में पड़ी हुई है और गर्द खा रही है। इसलिए अब अरूरत इस बात की है कि सरकार पर माननीय सदन दवाब दे कि जो बेकार हैं उनको जीवन-निबहि भत्ता दिया जाय ।

जो बेकारी के तखमीने हैं वह तो बहुत तरह के हैं और मैं समझता हं कि सरकार के पास भी कोई इस तरह का तखमीना नहीं है कि जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि वास्तव में इस देश में कितने बेकार हैं। वास्तव में, रियलिटी में कितने बेकार हैं यह जानने का कोई तरीका नहीं है। सरकार की स्रोर से जो रोजगार दफ्तरों में उनकी संख्या दर्ज हो जाती है, मैं समझता हं कि वह हमारी बेकारी का दसवांश भी नहीं है। ग्रभी तक जो सबसे ताजा

संख्या उपलब्ध है सरकार की तरफ से इस वर्ष की 31 मार्च तक, उसके अनुसार बताया गया है कि जो इंप्लायमेंट एक्सचेंजेज हैं उनके यहां 81 52 लाख ग्रादमी बेकार दर्ज हैं। लेकिन मान्यवर, उन रिजस्टरों में दर्ज करने का जो तरीका है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाम बेकार लोगों का नाम वहां चढाया नहीं जाता। एक तो कैटेगरी होती है हर एक ब्रादमी की श्रीर ब्रगर कोई ब्रादमी उसका नाम जितने समय के लिए वहां दर्ज है उसके बाद उसको पुनर्जीवित नहीं कराता उन इंप्लायमेंट एक्सचें जेज में तो उसका नाम काट दिया जाता है। गांव के रहने वाले लडके या महरों के बहत से लोग जो इंप्लायमेंट एक्सचेंजों में ग्रपने नाम दर्ज कराते हैं उन सबको हर तीन महीने के बाद ग्रपने ग्रपने नामों को पूनर्जीवित कराना पड़ता है और कई बार उनके नाम कट जाते हैं और काम उनको नहीं मिल पाता । तो इस प्रकार जो संख्या इंग्लायमेंट एक्सचेंजों की है वह वास्तविक दर्पण नहीं है बेकारी का। बेकारी कई प्रकार की है। एक तो परे तीर से लोग बेकार हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और वे पढ़े लिखे भी हैं या बहुत से लोग उनमें कम भिक्षित हैं, जो केवल दस्तखत करना ही जानते हैं। तीसरे वह लोग हैं की जो साल में पूरे समय तंक काम नहीं वाते, केवल मौसमी काम पा जाते हैं। सीजनल वर्ष उनके पास होता है वह चाहे खेतों में हो या किसी और रोजगार में हो या नौकरियों में हो और उसके बाद वह बेकार रहते हैं और वाकी समय में उनको कोई काम नहीं मिलता। तो ऐसे बेकार भी इन हमारे इंप्लायमेंट एक्सचेंजों में नहीं थ्रा पाते जो बहुत कुछ अनपढ़ हैं या शारीरिक अम करना चाहते हैं। उनके लिए उसमें कोई जगह नहीं होती श्रीर इस तरह के लोग रोजगार दफ्तरों को जानते भी नहीं श्रीर वहां जा कर अपना नाम नहीं लिखा पाते । वह अंगुठा लगाते हैं और इस प्रकार के तमाम लोग जो वेकार हैं उनके लिये सरकार के पास क्या योजना है ? क्या कार्यंकम है कि उनको काम मिले ? मान्यवर,

195

पिछले चुनाव के बाद सरकार की तरफ से इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यंक्रम बड़े जोरों से उद्घोषित किये गये । जिस हद तक उनको चलाया गया उससे इछ समय तक उनको, लोगों को काम मिला । उनमें एक कैश स्कीम फार रूरल अनद्वायमेंट थी। उसमें एक हजार आदमी हर जिले में काम में लगाये गये ग्रीर उत्तरी उनको ग्रस्थायी तीर पर काम मिला, लेकिन दस महीने बाद बह फिर बेकार हो गये। अगर हर साल उनको इस तरह से काम उपलब्ध होता तो वह ग्रानी जीविका पैदा कर सकते थे, लेकिन वह स्कीम केवल एक साल चली और वह फिर बेकार हो गये ग्रीर जितना धन उसमें लगा, वह भी बेकार हो गया उसके प्रलावा पढे-लिखे लड़कों के लिए कई स्कीमें चलायी गयीं, उनमें एक थी शिक्षक रखने की। इस संबंध में उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कल खोले गये और उनको देनिंग दी गयी।

लेकिन आज भी ट्रेनिंग लेने के बाद भी लड़के हर जिले में--कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में-कितने ही हैं और चार साल हो गये, अभी तक उन्हें काम नहीं मिल सका । साधारण शिक्षक का कार्य भी उनको नहीं मिल सका, ऊपर के विद्यालयों का तो सवाल ही नहीं उठता । तो वह स्कीम भी असफल रही। अगर उस स्कीम की चलाया जाता तो मैं समझता हूं कि उसकी काफी गुंजा-यश थी। हमारे देश में प्राइमरी शिक्षा न अनिवार्यं हुई, न मुफ्त हो पाई । कुछ चुने हुए शहरों में शायद प्राइमरी शिक्षा श्रनिवाय श्रीर मुक्त है, लेकिन अधिकांश देहातों में, जिलों में यह शिक्षा न तो अनिवार्य हुई , न मुफ्त । ग्रगर हम प्राइमरी शिक्षा को ग्रनिवार्य करते तो मैं समझता हूं कि इसमें लाखों नवयुवकों को श्रध्यापक के तौर पर लगाया जा सकता है श्रीर उनकी बेकारी दूर हो सकती है। लेकिन वह स्कीम एक बार चलाई गई भ्रौर फिर वह ठप्प हो गई । नये विद्यालय खोल नहीं पाते, न

नये लड़कों को शिक्षा देने के लिए भर्ती किया जाता है।

उसके बाद एक स्कीम उन्होंने चलाई हाफ ए मिलियन जाब बनाने की। मैं समझता हूं कि उससे भी कोई प्रगति नहीं हुई श्रीर जो लाइव रिजस्टर पर मैंने सँख्या बताई वह निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसलिए ग्रगर इस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी कि जो बेकार हो उसकी पूरी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी हो, ऐसी व्यवस्था या तो ग्रनइंप्ला-यमेंट इँशोरेंस स्कीम निकालें या जो इंडस्ट्रियल लेवर हैं, वहां पर इस प्रकार का नियम हो कि जब उनके पास काम न हो तो किसी प्रकार का भत्ता उनको दिया जा सकता हो, तभी मैं समझता हूं कि बेकारी की इस समस्या का एक किनारा खुआ जा सकता है।

दूसरी तरफ जो शिक्षा बढ़ती है श्रीर पढ़े-लिखे लडके निकलते हैं तो जो आगंनाइज्ड सेक्टर हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें जगहें नहीं हैं और भ्राज जो मुद्रा स्फीति हो रही है उस समय तो सरकार ने भी भर्ती पर पाबन्दी लगा दी, हर राज्य सरकार भी श्रवसर भर्ती रोकती रही है। जो लोग ग्रस्थाई तौर पर कार्य करते रहे उन्हें भी उनके स्थानों से छांटा जा रहा है। इस प्रकार की छंटनी होने से जो लोग हमारे यहां मजदूरी में लगे हुए थे उनमें भी गिरावट श्रा रही है श्रीर उनकी भी संख्या कम होने जा रही है। दूसरी तरफ उद्योग धन्धों की क्या स्थिति है? वहां पर भी जो नई भर्ती होती थी उनका तो सवाल ही नहीं उठता, भ्राज तक सवाल यह हो गया है कि उद्योग धंघों में जितने लोग लगे हुए हैं वह लगे रह जायें, वहां से भी छंटनी न हो जाए । जैसे कानपुर में टेक्सटाइल मिल्स हैं। वहां पर बराबर ले-श्राफ हो रहे हैं। दूसरे छोटे-मोटे उद्योग धंधों में जहां छोटी छोटी संख्या में लोग लगते हैं उन स्थानों में बिजली की कमी के कारण श्राम तौर से ले-आफ होता जा रहा है या वह बन्द होते जा रहे हैं। तो वहां जो व्यक्ति रोजगार में लगे हए थे, घंधों में लगे हए थे, वहां भी छंटनी

होती चली जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार का कोई अलाउंस देने से सारी बेकारी दर हो जाएगी, मैं मानता हं कि लोगों को उद्योग धंबों में लगना है, खेती के अलावा दसरे कामों में हमारे गांव के रहने वालों को लगाने की जरूरत है। याज खेती में इतना स्थान रह नहीं गया है कि हम उसमें ज्यादा लोगों को काम पर लगा सकें। ग्राये दिन जमीन के बटवारे, और खेती की भूमि के पर्नावतरण का सवाल उठता है, लेकिन सीलिंग का सवाल उठता है, वह ठीक है, लेकिन उससे बेकारी दूरी करने में कोई सहायता नहीं मिलती. होता यह है कि जितने म्राज भी लोग खेती में लगे हैं ग्रगर उससे ज्यादा लोग वहां लगा दिये जायें तो फिर वहां काम घट जाता है। ज्यों ही वहां पर किसी मौसम में, खेती के अवसर पर काम होता है, तो ज्यादा अवसर होता है श्रीर बाद के बहुत से महीनों में कोई काम नहीं होता । खेती पर से लोगों को हटा कर दूसरे धंधों में लगना चाहिए। उस पर ही हम जोर देते जायें ग्रीर यह सोचें कि ज्यादा नवयुवक जाकर खेती में काम करें तो उनकी संख्या फिर बढाई नहीं जा सकती।

जो दूसरे धैंधे हैं खेती के ग्रलावा, उसमें ज्यादा मौका है लोगों को काम करने का । उसके साथ हमारी जो उपयोग की वस्त है, उपभोग के साधन हैं, उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उनकी कोई सीमा नहीं है । इसलिए उनके उत्पादनों में ग्रधिक ग्रादमी निरन्तर लगते जाते हैं। दुनिया के जो विकसित देश हैं उन तमाम देशों में हम यह पाते हैं कि धीरे-धीरे खेती पर जो लोग लगे थी, वी कम होते गए और दूसरे घंधों में लगे हैं। उनमें लोगों की संख्या दिन प्रति दिन बढती जा रही है, जैसे अमरीका है। अमरीका में इस काम में पहले 13 प्रतिशत लोग थे और अब सिर्फ 3-4 प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं,वार्का लोग दूसरे कामों में चले गए हैं। उद्योग धंधों के व्यवसाय में, कमार्स में, ट्रांसपोर्ट में जितना फैलाव हो सकता है, जितने साधन सरकार के पास हो सकते हैं जितना उसमें परिश्रम हो सकता है उतना शायद खेती में नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा स्झाव यह था कि उन धंधों को बढ़ाने की तरफ विशेष प्रयास होना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट है इसी तरह के और भी घंघे हैं, काटेज इंडस्ट्री या गृह उद्योग हैं इनमें भी ज्यादा ग्रादमी लगते हैं। इसमें हर ग्रादमी अपने घर पर वैठ कर छोटे पैमाने पर अपने परिवार के साथ कई चीजों का उत्पादन कर सकता है।

कपड़े के कार्य को ले लीजिए। इसके लिए जो टैक्सटाइल मिल चल रही हैं मैं समझता हं इसके कारण कई खादमी बेकार हो गए हैं। ग्रगर यह मिलें बन्द कर दी जाएं तो इसमें जितने ग्रादमी काम कर रहे हैं उसके 10 गणा श्रादिमयों को काम मिलेगा। वे व्यक्ति जो वनकर हैं, जो चर्खा चलाते हैं, वे ग्रपने घरों पर बैठ कर यह सारा काम कर सकते हैं। इसलिए शहरों में बड़े-बड़े नगरों को बनाने की, बसाने की जो अनेक समस्याएं आज पैदा होती जाती हैं वे समस्याएं पैदा न हों भ्रीर अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा । मैं चाहता हं कि इस नीति को कार्यान्वित करने की भ्राज ज्यादा जरूरत है।

जो काम हम हाथ से कर सकते है उस काम को करने के लिये मशीन का उपयोग हमारे देश में नहीं होना चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें आदमी ज्यादा से ज्यादा काम पर लगें और पंजी कम लगे। मैं उदा-हरण देना चाहता हं ईंट बनाने के लिये भट्टे का। मान्यवर, ईंट के भट्टों में मजदूर ज्यादा लगते हैं और इसके लिए अगर मशीन दिल्ली में लग गई सी० पी० डब्ल ० डी० के द्वारा या कारपोरेशन के द्वारा ईंट के भटटों में जो मजदर लगे हए हैं वे सब बेकार हो जाएगे।

इसी प्रकार मकान बनाने के लिये जो भी फैबरीकेटिड हाउसेज बनाए हैं उससे जो राजगीर, मजदूर हैं, बढई हैं वे तमाम लोग बैकार हो जाएंगे। हर शहर में, मान्यवर, भ्रापको तजुर्बी होगा कि इस तरह के

200

[श्री श्यामलाल यादव ] मकान बनाने वाले राजगीर, बढ़ई एक-दो अगह पर इकट हो कर बैठे रहते हैं। हमने देखा है दिल्ली में, लखनऊ में, वे लोग दिन भर बैठे रहते हैं। उनको कोई घर पर ले जाने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि सब काम मशीनों से होने लगा है। इस प्रकार के लोग जो श्रम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है इसलिये उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। मशीन का अगर उप-योग होगा तो इस बेकारी में इजाफा होगा, उनकी संख्या बढेगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी। यह भ्रम है कि मशीन के जरिये ज्यादा उत्पादन करेंगे, श्रन्छे ढंग से काम होगा। मैं समझता हं यह ग्रापका बिल्कुल भ्रम है। भ्रव तक हमने एक तरफा प्रयास किया है और उसके फल-स्वरूप आज इम देख रहे हैं बेकारों की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। धौर पिछले दिनों पांचवीं योजना का जो प्रारूप, दस्ताबें हमारे सामने पेश किया गया था उसमें यह भावना व्यक्त की गई है कि इस देश में वेकारों की संख्या में कमी होने वाली नहीं है। सरकार ने इस बात को भी माना है कि इस योजना-काल में बेकारों की संख्या श्रीर भी बढ़ेगी श्रीर उसमें कटौती होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी परिस्थित में इन तमाम भन्भवों के बाधार पर बाज बावश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारे देश में जो छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको बढ़ावा दिया जाय ग्रीर साथ-साथ इन छोटे-छोटे उद्योगों के लिये मशीनरी का उपयोग न किया जाय, क्योंकि जो काम हाथ से किया जा सकता है, उसको हाथ से ही किया जाना चाहिये। मैं चाहता हं कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि इस तरह के उद्योगों में, जिनमें हाथ से

काम किया जा सकता है, मशीनरी का उपयोग न किया जाय। मैं यह भी चाहता हं कि जिन वस्तुग्रों का निर्माण किसी एक भौद्योगिक क्षेत्र में होता है अथवा जिसका निर्माण छोटे उद्योग-धन्धों में होता है, उसका निर्माण उसी क्षेत्र में होना चाहिये, दूसरे क्षेत्र में उसका निर्माण करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये, ताकि उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को काम मिल सके। आप जानते हैं कि आज हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम छोटे उद्योग-धन्धों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोज-गार दे सकेंगे तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी । मैं समझता हं कि ग्रगर ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में बेकारों की एक बड़ी फीज तैयार होती जाएगी और उससे न केवल इस देश में जनतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि हमारे जो मृत्य हैं, उनको भी महान् खतरा पँदा हो जाएगा। भ्रव तक हमारे देश में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनसे श्राम लोगों को बहुत कम लाभ हुआ है और इस देश में बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। नतीजा इसका यह होता है कि देश में सरकार का ज्यादातर वैसा, ज्यादातर समय श्रीर ज्यादातर परिश्रम शान्ति ग्रीर व्यवस्था को कायम करने में लग जाता है ग्रौर कोई विकास या प्रगति का काम नहीं हो पाता है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि अपने देश में वेकारी को दूर करने के लिये कोई इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिये, ऐसा कार्यंकम बनाया जाना चाहिये, जिसमें छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बढावा मिले ग्रीर उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले।

एक बात में और निवेदन करना चाहता हं। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने में, हाल में यह बात सुनने में आई है कि

उसका समय बढा दिया जाय। ग्रब तक यह स्थिति थी कि हाई स्कल पास करने में 10 वर्ष, इन्टरभीडिएट पास करने में 2 वर्षं ग्रीर उसके बाद ग्रेजुएट होने के लिये 2 वर्षं लगते थे। लेकिन ग्रब इस बात का प्रयास हो रहा है कि यह समय बढ़ा दिया जाय और शिक्षा के दरवाने बन्द कर दिये जायें जिससे कि लोग शिक्षा प्राप्त न कर सकें। मैं लमझता हं कि इस प्रकार के प्रयासों से बैकारी की समस्या हल होने वाली नहीं है। इन ग्राडम्बरों ग्रौर बनावटी साधनों से यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि यवक तो फिर भी बैकार ही रहेंगे। यह बात भी सही है कि हमारे देश में बैकारी होते के कारण प्रत्येक यवक यह सोचता है कि बेकार बैठने से तो ग्रच्छा है कि कोई उच्च हिग्री लेली जाय। उनके माता-पिता और अभिभावक लोग भी इसी प्रयास में रड़ते हैं। लेकिन इस प्रयास को इस प्रकार के बाडम्बरों और बनावटी साधनों से रोकने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इ.स. उमारे देश में बेकारी की समस्या हल नहीं होगी । हमारे देश में यह विचार-धारा बहुत दिनों से चल रही है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया आय। इमारे देश की आजादी से पहले महातमा गांधी जी ने बेक्तिक शिक्षा चलाई थी और आजादी के बाद कई राज्यों में उनका प्रयोग भी किया गया, लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली और एक प्रकार से हमारे देश में जो एक पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वही प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मल्टीपरपज स्कल भी खोले गये। ग्रीर वोकेशनल खोले गये, टेकनिकल गये . . . .

## 5 P. M.

उपसभाष्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) श्यामलाल जी, आप एक-आध मिनट में भाषण समाप्त कर सकते हैं ? श्री स्थाम लाल यादवः श्रीयन् , मैं कुछ ग्रोर अधिकः समय चाहुंचा ।

discussion

## उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू):

Let us continue it on the next non-official day for Bills. Now, let us take up Half-An-Hour Discussion. Dr. Nagappa Alva.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO STARRED QUESTION 428 GIVEN ON 9TH AUGUST. 1974, REV TAKEOVER 'OF BUNGALOWS IN THE BELGAUM CANTONMENT FOR THE USE OF SERVICE OFFICERS

DR. K. NAGAPPA ALVA (Karna-taka): Mr. Vice-Chairman. Sir. this half-an-hour discussion has reference to Starred Question No. 428 answered in the Rajya Sabha on 9th August. 1974, and the statement laid on the Table of the House. Sir. the statement says:

"Lands in Military areas in Cantonments have been given to persons on "Old grant terms" and other resumable tenures. All such grants are in the nature of licences and such tenures provide for resumption on one month's notice at any time. However, resumption is generally resorted to when the sites are required for defence purposes or where terms of the tenure are violated. The resumptees are entitled to compensation for the structures etc. and alternative land on lease under conditions prescribed.

With the growth of the Armed Forces and changes in their deployment the requirement of land has increased and as such siteg which had not been resumed so far may be required to be resumed in greater numbers in the future. What is under consideration is a general scheme by which such resumptions can be carried out in a phased manner to meel the defence needs. Till